संख्या-09 /2019/ 200/कनिप्र/26-3-2019-14(34)/2014

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 08 फरवरी,2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2018-19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक,समाज कल्याण के पत्रांक- 85/स.क./एस.सी.पी./ 2017-18 दिनांक 11 जनवरी,2018 एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) गोण्डा के पत्रांक-517/स.क.वि./2017-18 दिनांक 21 दिसम्बर,2017 तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) बस्ती के पत्रांक-1810-11/स.क.वि./नि:शुल्क बो./धना./2017-18 दिनांक 27 जनवरी,2018 के संदर्भ में गत वर्षो में कराई गयी बोरिंग के सापेक्ष् देय कुल धनराशि रू0 31,60,000/- (रू0 इकतीस लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) गोण्डा तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) बस्ती को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के आलोक में क्रमश: रू0 24.10 लाख एवं रू0 7.50 लाख कुल रू0 31.60 लाख की धनराशि गत वर्षो की देयता के सापेक्ष संबंधित कार्यदायी संस्था को भुगतान किये जाने हेतु तत्काल आवंटित की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। प्रश्नगत धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी भी दशा में वित्तीय संस्थानों में सावधि जमा के रूप में नहीं रखी जायेगी। इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- यह भी अवगत करा दिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हैं। अतः ऐसी स्वीकृतियां जहां आवश्यक हो व्यय करने से पहले अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

6- इस स्वीकृति पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण,-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0108- परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के.100/रा.0-के.)-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-09/2019/200/(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) जनपद गोण्डा एवं बस्ती।
4- अध्यक्ष,ग्रामोद्योग विकास संस्थान, नबावगंज, गोण्डा।
5- वित्त (वित्त नियन्त्रण)अनुभाग-4।
6- एन0आई0सी0 की प्रति ।
7- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।